न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 13 | तारीख रजू:–23.06.2020

जी.सी.एम.एस. न0:– 2020 / 00046

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह [illegible] स.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:55 IST
Reason: SelfAttested

1. उमरदराज पुत्र उमराव खान, जाति मुसलमान, निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा हाल निवासी झिलाई, तहसील निवाई, जिला टोंक (राज0)।
2. सरफराज पुत्र मो0 सुल्तान
3. इमतियाज पुत्र मो0 सुल्तान
4. मुस्तकीम खां पुत्र मो0 सुल्तान
5. हबीब खां पुत्र मो0 सुल्तान
6. फारूख खां पुत्र मो0 सुल्तान
7. शाहिद पुत्र मो0 सुल्तान
8. मुजीब पुत्र मो0 सुल्तान
9. मुजाहिद पुत्र मो0 सुल्तान

   समस्त जातियान मुसलमान निवासीयान झिलाई, तहसील निवाई, जिला टोंक (राज0)।
10. नईमुनिसा
11. हबीबुनिसा
12. सईमुनिसा
13. हीना रानी

    समस्त पुत्रीयां मोहम्मद सुल्तान निवासीयान झिलाई, तहसील निवाई, जिला टोंक (राज0)।

–वादीगण

बनाम

1. नूर मोहम्मद पुत्र लल्लू खां
2. इमामुद्दीन पुत्र लल्लू खां
3. चन्दोबाई पुत्री लल्लू खां
4. अनवर जहां पुत्री लल्लू खां
5. सिराज खां पुत्र शमशेर खां
6. प्यारे मोहम्मद पुत्र शमशेर खां
7. आरिफ खां पुत्र शमशेर खां
8. नरगिस पुत्री समशेर खां
9. शकीला पुत्री समशेर खां
10. अक्को पुत्री समशेर खां
11. सायना पुत्री समशेर खां

    निवासीयान ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
12. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

उपस्थितः:—
वकील वादीगण :— श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, एडवोकेट एवं श्री लोकेश कुमार सीठा, एडवोकेट
वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11:— एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांकः—18.02.2026

दावा बाबत् घोषणा, इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि—

❖ वादीगण ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा हाल निवासी झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक के मूल निवासी है एवम् काश्तकार पेशा व्यक्ति है।

❖ वादीगणों के पूर्वज बाबा लाल खां पुत्र खुदाबक्स ईसरदा ठिकाने में हवलदार के पद पर कार्यरत थे एवम् मृतक लाल खां पुत्र खुदाबक्स के नाम से साबिक कृषि भूमि खसरा नं0 2251 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा खतोनी बीस साला में दर्ज थी।

❖ वादीगण के बाबा लाल खां की सेवाओं से खुश होकर ठिकाना ईसरदा ने समस्त ठिकाने के कार्यरत कर्मचारियों के नाम से ठिकाना रिज्यूम होने के कारण ठिकाने के नाम से दर्ज साविक कृषि भूमि का विकय पत्र बिना प्रतिफल प्राप्त किये ही विक्रय पत्र ठिकाने के मुख्त्यार आम जयगोपाल जी द्वारा तस्दीक करवाये गये थे। विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तकरण संख्या 406 बजरंगसिंह पुत्र हरबक्स सिहं नामान्तकरण संख्या 417 देवीलाल पुत्र नन्दलाल राव, नामान्तकरण संख्या 418, चौथमल पुत्र माधोलाल नामान्तकरण संख्या 419, लादूलाल पुत्र माधोलाल, नामान्तकरण संख्या 420, वीरसिह पुत्र शिवदयाल, नामान्तकरण संख्या 421, राधे पुत्र मोतीलाल कीर, नामान्तकरण संख्या 422, रघुवीर सिहं पुत्र हीरासिहं नामान्तकरण संख्या 423 गंगाराम पुत्र मोती कीर, नामान्तकरण संख्या 424 नानगराम पुत्र बच्छु गुर्जर, नामान्तकरण संख्या 425 भवानीसिहं पुत्र हीरासिंह, नामान्तकरण संख्या 426, गोपालसिहं पुत्र गोकूलसिहं नामान्तकरण संख्या 427, प्रहलाददा[illegible]सदयाल, नामान्तकरण संख्या 428, गोपाल पुत्र औकार गू[illegible] 429 सत्यनारायण पुत्र अमरलाल कोठयारी नामान्तकरण संख्या 430, राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण बाहमण नामान्तकरण संख्या 431. प्रभू पुत्र भूरा खटीक नामानतकरण संख्या 432, लक्ष्मीनारायण पुत्र औकार कोठयारी नामान्तकरण संख्या 433, मंगल्या पुत्र चन्दरा कीर, नामान्तकरण संख्या 434, जगन्नाथ पुत्र हरदेवा गूर्जर नामान्तकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

संख्या 435, अमरलाल नाथ पुत्र जीवनराम नामान्तकरण संख्या 436, रूपसिहं पुत्र कजोड़ सिंह नामांतकरण संख्या 437। श्रीया पुत्र रामचन्द्र गूर्जर नमन्तकरण संख्या 446, नारायण पुत्र रामचन्द्र गूर्जर नमन्तकरण संख्या 449, भैरू पुत्र नाथूलाल माली, नमन्तकरण संख्या 451, जगदीश पुत्र रामचन्द्र गूर्जर नमन्तकरण संख्या 452. रामफूल पुत्र औकार नामन्तकरण संख्या 462, विद्या पुत्र जेल्या माली नमनतकरण संख्या 463, श्रीया पुत्र रामचन्द्र गूर्जर नमन्तकरण संख्या 463, जया पुत्र रामचन्द्र गूर्जर नमन्तकरण संख्या 463, 465, चन्द्र पुत्र गेंद्या, नामान्तकरण संख्या 467 लच्छा पुत्र फूल्या के नाम से अलग किये गये थे।

❖ राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2014 से संम्वत् 2017 के अनुसार महाराज सवाईसिहं पुत्र प्रतापसिहं के नाम से खाता संख्या 326 में अंकित ख0न0 1898 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, ख०न० 1983 रकबा 15 बिस्वा, ख0न0 2027 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 1427 रकबा 771 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 2344 रकबा 571 बीघा 17 बिस्वा, ख०न० 2345 रकबा 233 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 1585 बीघा 1 बिस्वा भूमि दर्ज थी।

❖ जागीर रिज्यूम होने के कारण महाराज सवाईसिहं के पुत्र कर्नल बहादुर सिहं जी के मुख्त्यार आम जयगोपाल द्वारा वादी के बाबा लाल खां पुत्र खुदाबक्स के नाम से दिनांक 02.07.64 को ख0न0 1427 रकबा 771 बीघा 3 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि का विकय पत्र तस्दीक करवाया था। नामान्तकरण संख्या 396 की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं।

❖ विक्रय पत्र के आधार पर एवं पूर्व से दर्ज खसरा नं0 2251 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 1427 मिन रकबा 10 बीघा कृषि भूमि आज भी वादीगण के बाबा के नाम से दर्ज हैं।

❖ वादीगणों ने बाबा लाल खां की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज करकने के लिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा को लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम ईसरदा के गुर्जर मौहल्ले में रहने वाले लल्लू पुत्र महताब के वारिसानों ने मृतक [illegible] में दर्शा कर फर्जी तरीके से दस्तावेज तेयार करके [illegible] से सांठ गांठ करके तहसीलदार चौथ का बरवाजा से [illegible] प्रतिवादीगणों के नाम से आदेश करवाने पर वादीगणों ने निर्णय दिनांक 15.02.19 की अपील अति० जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर के यहां प्रस्तुत करने पर विचाराधीन अपील संख्या 3/19 उनवानी उमरदराज वगै० बनाम नूर मोहम्मद वगै० में माननीय न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

ने दिनांक 6.9.19 को यह निर्णय पारित किया है कि मृतक लाल खां पुत्र खुदाबक्स के विधिक वारिसानों की जांच करके पुनः निर्णय पारित करें।

❖ वादीगणों का सजरा खानदान इस प्रकार से वर्णित हैं :–

लालखां पुत्र खुदाबक्स

↓

सुल्तान (फोत) | उमरदराज | ताहिरा

❖ प्रतिवादीगणों का सजरा खानदान निम्नानुसार है–

लल्लू खां पुत्र मेहताब

↓

नूर मोहम्मद | इमामुद्दीन | शमशेर खां

चन्दो बाई अनवर जहां

↓

सिराज खां | प्यारे मोहम्मद | आरिफ खां | नरगिस | शकिला | अक्को | सायना

❖ मतदाता सूची ग्राम ईसरदा सन् 1960 के कम संख्या 191 में लाल खां पुत्र खुदाबक्स, कम सं० 192 पर बिसमिल्ला पत्नी लाल खां कम संख्या 193 पर हुर्रा पत्नि खुदाबक्स के नाम का इन्द्राज हैं।

❖ मतदाता सूची ग्राम ईसरदा सन् 1960 के कम सं0 474 मकान नं0 274 में मेहताब पुत्र मोहम्मद क०सं० 475 पर भूरी पत्नि मेहताब क०सं.0 476 पर गफूर पुत्र मेहताब, क०सं० 477 पर शरीफन पत्नी गफूर, क०सं० 478 पर लल्लू पुत्र मेहताब, क०सं० 479 पर खातून पत्नी लल्लू के नाम का इन्द्राज है उसके पश्चात् भी प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के फर्जी वारिस बनकर वादीगण के स्वामित्व की कृषि भूमि को हड़पने के लिये प्रयत्नशील है। इस तथ्य पर भी तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा ने प्रतिवादीगण से साज करके एक पक्षीय आदेश कर दिये जाने के कारण प्रतिवादीगण के हौसले बुलन्द हो गये हैं। उनवानी उमरदराज बनाम नूर मोहम्मद वगै० में निर्णय पारित कर दिये जाने के कारण वादीगणों के जायज अधिकारों को ठेस पहुँचाने के कारण वादीगण न्यायालय हाजा की शरण लेकर वाके ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

साविक कृषि भूमि खसरा नं0 2251 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, ख०न० 1427 रकबा 10 बीघा के हाल नवीन खसरा नं0 3809 रकबा 0.73 है०, ख०न० 4660 रकबा 1.88 है०, ख0न0 4661 रकबा 0.64 है0 कुल किता 3 रकबा 3.25 हेक्टेयर विरासत के आधार पर वादीगण के स्वामित्व की घोषित किये जाने के लिये वादीगणों को खातेदार कास्तकार घोषित किये जाने के लिये दावा पेश करना लाजमी हुआ हैं।

❖ अतः वादपत्र वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे—

- घोषणा इस्तकरार हक इस अमर की फरमाई जाये कि मृतक लाल खां पुत्र खुदाबक्स वादी संख्या 1 का बाबा होने के कारण वादीगणों को विरासत के आधार पर राजस्व ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित साबिक कृषि भूमी खसरा नंबर 2251 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 1427 रकबा 10 बीघा जिसके हाल नवीन खसरा नंबर 3809 रकबा 0.73 है0, खसरा नंबर 4660 रकबा 1.88 है0, खसरा नंबर 4661 रकबा 0.60 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3.25 है0 का वादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे।

- प्रतिवादीगणों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि खाता संख्या 882 वाके ग्राम ईसरदा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 3809 रकबा 0.73 है0, खसरा नंबर 4660 रकबा 1.88 है0, खसरा नंबर 4661 रकबा 0.60 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3.25 है0 वादीगणों के कब्जे काश्त में किसी तरह से बाधा उत्पन्न नहीं करें।

- तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2020 को अपास्त फरमाया जावे।

- दौराने वाद विवादित भूमि में प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाने में सफल हो जावे तो न्याय हित में उक्त इन्द्राज को अपास्त फरमाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस प्रतिवादीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:55 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 1 बावजूद जामील अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 15.07.2024 उनके विरूद्ध दिनांक 20.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

4. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं–

- **पी0डब्ल्यू–01**:– उमरदराज पुत्र उमराव खान, जाति मुसलमान, निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा हाल निवासी झिलाई, तहसील निवाई, जिला टोंक (राज0)।
- **पी0डब्ल्यू–02**:– शाहबुद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अन्नपूर्णा डूंगरी, बमोर रोड, टोंक (राज0)।
- **पी0डब्ल्यू–03**:– तेजमल पुत्र छौगा रैगर, निवासी वार्ड नंबर 33, अन्नपूर्णा डूंगरी, बमोर रोड, टोंक (राज0)।
- **पी0डब्ल्यू–04**:– जफर अली पुत्र संजू अली जाति मुसलमान, निवासी अहमदुल्ला खां की गली, रामेश्वर हलवाई के सामने, पांच बत्ती, टोंक (राज0)
- **पी0डब्ल्यू–05**:– फारूख खां पुत्र मोहम्मद सुल्तान जाति मुसलमान निवासी झिलाई, तहसील निवाई, जिला टोंक (राज0)
- **प्रदर्श–01**:– जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 खसरा नंबर 2251 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- **प्रदर्श–02**:– हाल खतौनी खसरा नंबर 3809, 4660, 4661 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- **प्रदर्श–03**:– मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- **प्रदर्श–04**:– नामान्तरकरण संख्या 396
- **प्रदर्श–05**:– नामान्तरकरण संख्या 406
- **प्रदर्श–06**:– नामान्तरकरण संख्या 417
- **प्रदर्श–07**:– नामान्तरकरण संख्या 418
- **प्रदर्श–08**:– नामान्तरकरण संख्या 419
- **प्रदर्श–09**:– नामान्तरकरण संख्या 420
- **प्रदर्श–10**:– नामान्तरकरण संख्या 421
- **प्रदर्श–11**:– नामान्तरकरण संख्या 422
- **प्रदर्श–12**:– नामान्तरकरण संख्या 423
- **प्रदर्श–13**:– नामान्तरकरण संख्या 424
- **प्रदर्श–14**:– नामान्तरकरण संख्या 425

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

- प्रदर्श–15:– नामान्तरकरण संख्या 426
- प्रदर्श–16:– नामान्तरकरण संख्या 427
- प्रदर्श–17:– नामान्तरकरण संख्या 428
- प्रदर्श–18:– नामान्तरकरण संख्या 429
- प्रदर्श–19:– नामान्तरकरण संख्या 430
- प्रदर्श–20:– नामान्तरकरण संख्या 431
- प्रदर्श–21:– नामान्तरकरण संख्या 432
- प्रदर्श–22:– नामान्तरकरण संख्या 433
- प्रदर्श–23:– नामान्तरकरण संख्या 434
- प्रदर्श–24:– नामान्तरकरण संख्या 435
- प्रदर्श–25:– नामान्तरकरण संख्या 436
- प्रदर्श–26:– नामान्तरकरण संख्या 437
- प्रदर्श–27:– नामान्तरकरण संख्या 438
- प्रदर्श–28:– नामान्तरकरण संख्या 439
- प्रदर्श–29:– नामान्तरकरण संख्या 440
- प्रदर्श–30:– नामान्तरकरण संख्या 441
- प्रदर्श–31:– नामान्तरकरण संख्या 442
- प्रदर्श–32:– नामान्तरकरण संख्या 445
- प्रदर्श–33:– नामान्तरकरण संख्या 446
- प्रदर्श–34:– नामान्तरकरण संख्या 449
- प्रदर्श–35:– नामान्तरकरण संख्या 451
- प्रदर्श–36:– नामान्तरकरण संख्या 452
- प्रदर्श–37:– नामान्तरकरण संख्या 4[illegible]
- प्रदर्श–38:– नामान्तरकरण संख्या 463
- प्रदर्श–39:– नामान्तरकरण संख्या 465
- प्रदर्श–40:– नामान्तरकरण संख्या 4467

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

➢ **प्रदर्श–41**:– न्यायालय तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा निर्णय दिनांक 18.03.2020

5. बहस वकील वादीगण ने लिखित बहस पेश कर बहस की, जिसमें वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वादपत्र में अंकित कथनो का दोहरान किया।

6. मैंने वादीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. वकील वादीगण ने लिखित बहस में कथन किया है कि वादीगणों के पूर्वज बाबा लाल खां पुत्र खुदाबक्स ईसरदा ठिकाने में रियासत काल में हवलदार थे। इसलिये ईसरदा के तत्कालीन महाराज सवाई सिंह जी, बहादुर सिंह जी जब भी रेल गाड़ी से ईसरदा स्टेशन आते थे। वादीगणों के बाबा का अस्थाई रूप से टेन्ट लगाकर रहने के लिये रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा की ओर साबिक खसरा नंबर 2251 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि ईसरदा ठिकाने में वादीगणों के बाबा के नाम से दर्ज की थी। खतौनी बीस साला व जमाबंदी संवत् 2014 से संवत् 2017 में वादीगणों के बाबा के नाम से दर्ज है। जागीर रिज्यूम होने के कारण ठिकाना ईसरदा के तत्कालीन कर्नल बहादुर सिंह जी पुत्र सवाई सिंह जी ने राजस्व ग्राम ईसरदा में स्थित साबिक कृषि भूमि खाता संख्या 326 में अंकित कृषि भूमि खसरा नंबर 1898 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 1983 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 2027 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 1427 रकबा 771 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 2344 रकबा 571 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 2345 रकबा 233 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 1585 बीघा एक बिस्वा में कर्नल बहादुर सिंह जी के मुख्तार आम जयगोपाल जी द्वारा ईसरदां ठिकाने के कर्मचारियों के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर बिना प्रतिफल बेचान किया था। विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरणों में से नामान्तरकरण संख्या 396 के आधार पर वादीगणों के बाबा लाल खां पुत्र खुदाबक्स के नाम से विक्रय पत्र दिनांक 02.07.64 के विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी में इन्द्राज हुआ था। मतदाता सूची सन् 1960 में वादी के बाबा का क0सं0 192 पर नाम दर्ज था। वादीगणों के बाबा की मृत्यु होने पर गुर्जर मौहल्ला, ईसरदा में रहने वाले लल्लू पुत्र महताब ने अपने आपको लाल खां पुत्र खुदाबक्स का फर्जी वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत ईसरदा से बनवाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कर करवाने का प्रयास करने पर वादीगणों ने विवादग्रस्त नामान्तरकरण की अपील अति0 जिला कलेकटर, सवाई माधोपुर के यहां प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। मतदाता सूची सन् 1960 के कम संख्या 474 में मकान नंबर 274, कमांक 475 पर मेहताब पुत्र मोहम्मद, 476 पर भूमि पत्नि मेहताब, 477 पर ... पत्नि गफूर, 478 पर लल्लू पुत्र मेहताब, कम संख्या 479 पर खातून पत्नि लल्लू के नाम इन्द्राज है। प्रतिवादीगणों का मकान गुर्जर मौहल्ला ईसरदा में इन्द्राज है। प्रतिवादीगण ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर वादीगणों के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि हड़पने के लिये प्रयत्नशील होने के कारण वादीगणों की ओर से इस्तकरार हक का पेश किया है। वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

राजस्व अभिलेख एवं साक्ष्य द्वारा वादपत्र को पूर्ण रूप से साबित किया है। इसलिये वाद पत्र डिक्री किया जाकर वादीगणों को विरासत के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। हाल राजस्व जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 883 में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दर्ज इन्द्राजों को अपास्त करते हुए हाल राजस्व जमाबंदी में दर्ज नवीन खसरा नंबर 3809 रकबा 0.73 है0, खसरा नंबर 4660 रकबा 1.88 है0, खसरा नंबर 4661 रकबा 0.64 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3.25 है0 का वादीगण मृतक लाल खां पुत्र खुदाबक्स के विधिक वारिसान होने के कारण वादीगणों को काश्तकार घोषित किया जावे।

8. नामान्तरकरण संख्या 396 **(प्रदर्श–04)** लाल खां पुत्र खुदाबक्स के नाम से विक्रय पत्र दिनांक 02.07.64 के नाम तस्दीक होने की पुष्टि होती है। लाल खां की मृत्यु के पश्चात् तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा प्रतिवादीगणों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया, जबकि मतदाता सूची सन् 1960 के क्रम संख्या 474 में मकान नंबर 274, क्रमांक 475 पर मेहताब पुत्र मोहम्मद, 476 पर भूमि पत्नि मेहताब 477 पर शरीफन पत्नि गफूर, 478 पर लल्लू पुत्र मेहताब, क्रम संख्या 479 पर खातून पत्नि लल्लू के नाम इन्द्राज है, जिससे लल्लू पुत्र मेहताब द्वारा फर्जी प्रमाण पर के आधार पर उनके द्वारा लाल खां पुत्र खुदाबक्स की विवादित आराजी हड़पने की पुष्टि होती है, जिसकी ताईद वादीगण द्वारा पेश किये गये गवाहान ने भी की है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 ने वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के प्रतिरोध में न तो कोई जवाब पेश किया है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया है, जिससे उनके द्वारा अवैध तरीके से वादीगण की संपत्ति को हड़पने की पुष्टि होती है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं विवादित आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 3809 रबका 0.73 है0, खसरा नंबर 4660 रकबा 1.88, खसरा नंबर 4661 रकबा 0.64 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3.25 है0 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का नाम हजफ किया जाकर वादीगणों को उक्त विवादित आराजीयात खसरा नंबर 3809 रकबा 0.73 है0, खसरा नंबर 4660 रकबा 1.88, खसरा नंबर 4661 रकबा 0.64 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3.25 है0 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, को आदेशित किया जाता है कि वे वादीगण के नाम तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात खसरा नंबर 3809 रबका 0.73 है0, खसरा नंबर 4660 रकबा 1.88, खसरा नंबर 4661 रकबा 0.64 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3.25 है0 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:55 IST
Reason: SelfAttested

वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** स्थान **चौथ का बरवाडा**

1. उमरदराज पुत्र उमराव खान, जाति मुसलमान, निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा हाल निवासी झिलाई, तहसील निवाई, जिला टोंक (राज0)।
2. सरफराज पुत्र मो0 सुल्तान
3. इमतियाज पुत्र मो0 सुल्तान
4. मुस्तकीम खां पुत्र मो0 सुल्तान
5. हबीब खां पुत्र मो0 सुल्तान
6. फारूख खां पुत्र मो0 सुल्तान
7. शाहिद पुत्र मो0 सुल्तान
8. मुजीब पुत्र मो0 सुल्तान
9. मुजाहिद पुत्र मो0 सुल्तान
समस्त जातियान मुसलमान निवासीयान झिलाई, तहसील निवाई, जिला टोंक (राज0)।
10. नईमुनिसा
11. हबीबुनिसा
12. सईमुनिसा
13. हीना रानी
समस्त पुत्रीयां मोहम्मद सुल्तान निवासीयान झिलाई, तहसील

बनाम

1. नूर मोहम्मद पुत्र लल्लू खां
2. इमामुद्दीन पुत्र लल्लू खां
3. चन्दोबाई पुत्री लल्लू खां
4. अनवर जहां पुत्री लल्लू खां
5. सिराज खां पुत्र शमशेर खां
6. प्यारे मोहम्मद पुत्र शमशेर खां
7. आरिफ खां पुत्र शमशेर खां
8. नरगिस पुत्री समशेर खां
9. शकीला पुत्री समशेर खां
10. अक्को पुत्री समशेर खां
11. सायना पुत्री समशेर खां
निवासीयान ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
12. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

नम्बर मुकदमा 13 सन् 2020

दावा बाबत् हक इस्तकरार एवं बेदखली अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0 एक्ट

वादीगण की ओर से **श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एवं श्री लोकेश कुमार सीठा, एडवोकेट** एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की ओर से **एकपक्षीय कार्यवाही** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 18.02.2026 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि** वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं विवादित आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 3809 रबका 0.73 है0, खसरा नंबर 4660 रकबा 1.88, खसरा नंबर 4661 रकबा 0.64 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3.25 है0 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का नाम हजफ किया जाकर वादीगणों को उक्त विवादित आराजीयात खसरा नंबर 3809 रबका 0.73 है0, खसरा नंबर 4660 रकबा 1.88, खसरा नंबर 4661 रकबा 0.64 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3.25 है0 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, को आदेशित किया जाता है कि वे वादीगण के नाम तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात खसरा नंबर 3809 रबका 0.73 है0, खसरा नंबर 4660 रकबा 1.88, खसरा नंबर 4661 रकबा 0.64 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3.25 है0 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करे। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:55 IST
Reason: SelfAttested

इस वाद के खर्चे लेखें **X** रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर **X** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित **X** द्वारा **X** को दी जाए। यह आज तारीख 18.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Vgey
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:55 IST
Reason: SelfAttested